बिहार विद्यालय परीक्षा समिति, पटना

विज्ञप्ति संख्या– पी0आर0–   /2022

इंटरमीडिएट 11वीं कक्षा में सत्र 2022–24 के लिए OFSS से आच्छादित तथा OFSS से विमुक्त शिक्षण संस्थानों के छात्र/छात्रा के लिए अलग–अलग सूचीकरण आवेदन भरे जाने के संबंध में आवश्यक सूचना।

एतद् द्वारा राज्य के +2 स्तर की शिक्षा प्रदान करने वाले मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्थान के प्रधान, संबंधित विद्यार्थी, उनके अभिभावक, जिला कार्यक्रम पदाधिकारी (माध्यमिक शिक्षा) तथा जिला शिक्षा पदाधिकारी को सूचित किया जाता है कि **इन्टरमीडिएट वार्षिक परीक्षा सत्र 2022–24** के लिए मान्यताप्राप्त +2 विद्यालयों/महाविद्यालयों में 11वीं कक्षा में **(i)** OFSS के माध्यम से विधिवित नामांकित नियमित कोटि के सभी संकायों में एवं **(ii)** OFSS से विमुक्त संस्थानों के विधिवत नामांकित नियमित कोटि के सभी संकायों में तथा साथ–ही–साथ सभी संस्थानों के स्वतंत्र कोटि के मात्र **कला व वाणिज्य संकायों** के विद्यार्थियों का उक्त सत्र की परीक्षा में सम्मिलित होने हेतु ऑनलाइन सूचीकरण/अनुमति आवेदन संबंधित शिक्षण संस्थान के प्रधान के माध्यम से दिनांक 30.11.2022 तक भरा जाना है। इसके लिए दो अलग–अलग सूचीकरण आवेदन प्रपत्र समिति के वेबसाईट पर अपलोड है, जिसका विवरण निम्नवत् है :–

(i) OFSS के माध्यम से विधिवत् नामांकित नियमित कोटि के विद्यार्थियों के लिए जो सूचीकरण आवेदन प्रपत्र अपलोड किया गया है, उसमें खण्ड 'A' एवं खण्ड 'B' है। खण्ड 'A' में क्रमांक 1 से 17 तक विद्यार्थी का विवरण भरा हुआ है, जो OFSS प्रणाली से नामांकन हेतु उसके द्वारा दी गई सूचनाओं के आधार पर है। उसमें विद्यार्थी द्वारा कोई छेड़–छाड़/परिवर्तन नहीं किया जाना है। विद्यार्थी द्वारा मात्र खण्ड 'B' में क्रमांक 18 से 34 तक में अंकित विवरणों को अनिवार्य रूप से भरा जाना है।

(ii) OFSS से विमुक्त सस्थानों के विधिवत् नामांकित नियमित एवं सभी संस्थानों के स्वतंत्र कोटि के विद्यार्थी के लिए जो सूचीकरण आवेदन प्रपत्र अपलोड किया गया है, उसमें विद्यार्थी द्वारा अनिवार्य रूप से सभी विवरणों को भरा जाना है।

2. कतिपय शिक्षण संस्थान के प्रधान द्वारा OFSS के माध्यम से तथा OFSS से विमुक्त अर्थात दोनों प्रकार के नामांकित छात्र/छात्रा का एक ही सूचीकरण आवेदन प्रपत्र (जो OFSS से विमुक्त छात्र/छात्रा के लिए मान्य है) में भरे जाने की सूचना प्राप्त हो रही है, जो वांछनीय नहीं है।

3. पुनः स्मारित करना है कि उपर्युक्त कंडिका–1 (i) में OFSS के माध्यम से आच्छादित छात्र/छात्रा के लिए तथा कंडिका–1 (ii) में OFSS से विमुक्त छात्र/छात्रा के लिए निर्धारित सूचीकरण आवेदन प्रपत्र का उपयोग किया जाएगा। अन्यथा गलत रूप से भरे गये सूचीकरण आवेदन को अमान्य कर दिया जाएगा। इससे उत्पन्न होने वाली किसी भी समस्या के लिए शिक्षण संस्थान के प्रधान जिम्मेवार होंगे।

4. शेष अन्य शर्ते विज्ञप्ति संख्या–पी०आर०–214/2022, दिनांक 09.11.2022 के अनुसार यथावत् रहेगी।

5. ऑनलाइन सूचीकरण आवेदन भरने एवं शुल्क जमा करने में किसी प्रकार की असुविधा होने पर समिति के हेल्पलाइन नं0–0612–2230039 अथवा E-mail Id: reg.bsebhelpdesk@gmail.com पर सूचित कर समस्या का समाधान प्राप्त किया जा सकता है।

ह0 16.11.22

परीक्षा नियंत्रक (उ०मा०)
बिहार विद्यालय परीक्षा समिति, पटना।

ज्ञापांक : BSEB/(SS)/KEN/...1102.../2022   पटना, दिनांक : 16/11/2022